रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2010/चैत्र 2, 1932
No. 130] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2010/CHAITRA 2, 1932

गृह मंत्रालय

(विदेशी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2010

सा.का.नि. 207(अ).—केन्द्रीय सरकार नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी किया जाना) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी किया जाना) संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी किया जाना) नियम, 2003 में,

(क) "वर्ष 1971 के पूर्व निर्वाचक नामावली" शब्द और अंक जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "24 मार्च, 1971 की मध्य रात्रि तक निर्वाचक नामावली" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची में,—

(i) पैरा 1 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "24 मार्च, 1971 की मध्य रात्रि तक निर्वाचक नामावली" से 24 मार्च, 1971 की मध्य रात्रि की सुसंगत अवधि तक भारत निर्वाचन आयोग या असम राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाताओं के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाली निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है।'

(ii) पैरा 3 के उप-पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) स्थानीय नागरिक रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति की बाबत जो —

(क) 24 मार्च, 1971 की मध्य रात्रि तक असम राज्य से भिन्न स्थान पर रह रहे थे ; या

(ख) 24 मार्च, 1971 की मध्य रात्रि तक असम राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित हो गए हैं, अन्तर्राज्य पत्राचार या यथास्थिति, अंतरजिला पत्राचार के माध्यम से ऐसे व्यक्ति से संबंधित जानकारी का सत्यापन कर सकेगा।"

[फा. सं. 26011/01/2009-आईसी. I]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 937(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 803(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2009 को किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Foreigner's Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2010

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Amendment Rules, 2010.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003,

(a) the words and figures "electoral rolls prior to the year 1971" wherever they occur, the words figures and letters "electoral rolls upto the midnight of the 24th day of March,1971" shall be substituted;

(b) in the Schedule,—

   (i) in paragraph 1, for clause (b), following clause shall be substituted namely :—

   '(b) "electoral rolls upto the midnight of the 24th day of March, 1971" means the electoral rolls containing details of voters prepared by the Election Commission of India or the State Election Commission of the State of Assam in a relevant period upto the midnight of the 24th day of March, 1971.'

   (ii) In paragraph 3, for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph be substituted namely :—

   "(5) The Local Registrar of Citizens Registration may, in respect of a person who—

      (a) was residing in a place other than the State of Assam upto the midnight of the 24th day of March, 1971; or

      (b) has shifted from one district to another within the State of Assam up to the midnight of the 24th day of March, 1971,

   verify information relating to such person through inter-state correspondence, or, as the case may be, through inter-district correspondence."

[F. No. 26011/01/2009-IC, I]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 937(E), dated the 10th December, 2003 and was last amended *vide* number G.S.R. 803(E), dated 9th November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.